न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 06/2024

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मदनसिंह पुत्र श्री धन्नाराम 2 राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री धन्नाराम 3 रणजीतसिंह पुत्र श्री धन्नाराम 4 रामदयाल पुत्र श्री धन्नाराम 5 कैलाश पुत्र श्री धन्नाराम 6 रामदयाल पुत्र जेठाराम 7 नरपत सिंह पुत्र फूसाराम 8 संतोष सिंह पुत्र फूसाराम 9 विजयसिंह पुत्र बाबूलाल 10 माणकसिंह पुत्र बाबूलाल 11 प्रेमसिंह पुत्र जयसिंह 12 खींवराज पुत्र कानाराम सभी जाति माली, निवासीगण ग्राम भाकर बारा बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर		1. राकेश परिहार पुत्र स्व.श्री मोहनसिंह जाति माली निवासीगण-ग्राम भाकर बारा बासनी तम्बोलिया तहसील व जिला जोधपुर 2. तहसीलदार, तहसील जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1136 ग्राम बासनी तम्बोलिया आदेश दिनांक 01.03.2024 द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति:- 1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एल.सांखला उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी उपस्थित।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः 30.01.2025

अपीलान्ट श्री मदनसिंह पुत्र श्री धन्नाराम, जाति माली, निवासी ग्राम भाकर बारा बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट राकेश परिहार पुत्र स्व.श्री मोहनसिंह जाति माली निवासी ग्राम भाकर बारा बासनी तम्बोलिया तहसील व जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 01.03.2024 को बख्शीशनामा की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1136 ग्राम बासनी तम्बोलिया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सह खातेदारी पुश्तैनी सामलाती अविभाजित कृषि भूमि वाके ग्राम बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर [illegible] नम्बर 9 कुल रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा भूमि आई हुई है। उक्त कृषि भूमि का आज [illegible] तक मौके एवं रेकर्ड में बंटवाड़ा नहीं हुआ है और ना ही तरमीम हुई है तथा आज [illegible] तक यह कृषि भूमि सामलाती कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:28 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

काश्त है जिसका अमल दरामद राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2058 से 2061 में खाता संख्या नया 7 एवं खाता संख्या पुराना 6 से स्पष्ट है। उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुश्तैनी सामलाती एवं विरासत से प्राप्त हुई है, जिसका कानूनन बंटवाडा आज दिनांक तक नहीं हुआ है तथा उक्त सामलाती कृषि भूमि प्रत्येक सह-खातेदार के हक हिस्से में सामलाती आ रही है। अपीलान्टस द्वारा अपने खाते की जानकारी हेतु पटवारी से सम्पर्क करने पर उन्होने बताया कि उक्त खसरा की सामलाती अविभाजित कृषि भूमि में से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तकरण की कृषि भूमि का एक बख्शीशनामा निष्पादित करवाकर अपीलाधीन नामान्तकरण इन्द्राज करवाया है, तब अपीलान्ट द्वारा उप-पंजीयक कार्यालय से दिनांक 01.07.2024 को बख्शीशनामा की नकल प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनसिंह ने जानबूझकर संयुक्त अविभाजित पुश्तैनी कृषि भूमि को बिना कानूनन बंटवाडा कराये अपीलान्ट्स के हक हिस्से में से 10 बिस्वा कृषि भूमि अवैधानिक तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में बख्शीश कर दी। उक्त संयुक्त कृषि भूमि का बिना बंटवाडे के बख्शीश करने का उनको कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं था। पटवारी से अपीलाधीन नामान्तकरण की दिनांक 03.07.2024 को नकल प्राप्त करने पर अपीलान्ट को जानकारी में आया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मिलीभगत कर अवैधानिक तरीके से बाले-बाले अपीलाधीन नामान्तकरण अपीलान्टस के हितों के विरूद्ध स्वीकार करवा लिया जिससे व्यथित होकर अपीलाधीन नामान्तकरण की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी अविभाजित कृषि भूमि का कानूनन बंटवाडा कराये बगैर हस्तान्तरण करने, रेस्पोडेन्ट द्वारा सामलाती अविभाजित कृषि भूमि का बख्शीशनामा विधि विरूद्ध पंजीयन करवाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का आज दिन तक अपीलाधीन कृषि भूमि का मौके पर कब्जाकाश्त नहीं होने, नामान्तकरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर व नोटिस जारी किये बिना तथा उक्त कृषि भूमि के कब्जे बाबत् कोई सत्यापन करवाये बिना नामान्तरकरण जारी करने, राजस्व अधिकारियों द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व रिकार्ड एवं खाते की स्थिति देखे बिना ही भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध जाकर उक्त नामान्तकरण स्वीकृत करने आदि आधारों पर यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 01.03.2024 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1136 ग्राम बासनी तम्बोलिया को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनसिंह पुत्र श्री स्व. बाबूलाल का स्वर्गवास होने से उनका नाम अपील में से डिलीट करने हेतु निवेदन किया जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मोहनसिंह का नाम डिलीट किया जाकर उनके स्थान पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 राकेश परिहार का नाम रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के स्थान पर अंकन किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दिनेश जोशी ने अपील का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि तहसीलदार जोधपुर द्वारा नामान्तरकरण के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया है। अतः अपीलान्टस की अपील को अस्वीकार करते हुए तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 01.03.2024 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1136 ग्राम बासनी तम्बोलिया को यथावत रखने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से अपीलान्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible] ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम बासनी तम्बोलिया तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 9 कुल रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सह-खातेदारी पुश्तैनी सामलाती अविभाजित कृषि भूमि है जिसका मौके एवं रेकर्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:28 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

बंटवाड़ा व तरमीम नही हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पक्ष में उक्त कृषि भूमि में से 10 बिस्वा भूमि का बख्शीशनामा निष्पादित करवाकर तहसीलदार जोधपुर से अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत करवा लिया। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 01.03.2024 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1136 ग्राम बासनी तम्बोलिया को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। इस संबंध में अपीलान्ट अधिवक्ता की ओर से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर व माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को न्यायिक दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत किया।

अपीलान्ट अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन विचारण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निर्णय पर पहुंचते है कि अपील में यह कथन किया गया कि अपीलान्टस एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता स्व.मोहनसिंह की पुश्तैनी सामलाती एवं विरासत से प्राप्त कृषि भूमि ग्राम बासनी तम्बोलिया, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 9 कुल रकबा 48 बीघा 11 बिस्वा आई हुई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता स्व.श्री मोहनसिंह ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में उक्त खसरा एवं रकबा की कृषि भूमि में से 10 बिस्वा कृषि भूमि का एक बख्शीशनामा निष्पादित कर दिनांक 10.02.2024 को उप-पंजीयक (प्रथम) जोधपुर से पंजीबद्ध करवाया था, जिसके आधार पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 01.03.2024 को नामान्तरकरण संख्या 1136 ग्राम बासनी तम्बोलिया का स्वीकृत किया गया है। ग्राम बासनी तम्बोलिया के उक्त खसरा एवं रकबा की कृषि भूमि में से 10 बिस्वा भूमि का रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के आधार पर ही तहसीलदार जोधपुर द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है, जब तक रजिस्टर्ड बख्शीशनामा को सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं किया जाता है तब तक इस अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलान्टस द्वारा ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है जिससे साबित हो कि रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जा सकता, किन्तु अपीलान्ट द्वारा ऐसा नहीं किया जाकर उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त किया जाने हेतु इस न्यायालय में अपील पेश की गयी है। उक्त रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के आधार पर ग्राम बासनी तम्बोलिया की उक्त खसरे व रकबा की 10 बिस्वा कृषि भूमि पर तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 01.03.2024 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1136 ग्राम बासनी तम्बोलिया का जो आदेश पारित किया गया है वह पूर्णतया सही व विधि सम्मत होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार जोधपुर द्वारा दिनांक 01.03.2024 को स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1136 ग्राम बासनी तम्बोलिया को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2025.02.24 10:46:28 IST
Reason: SelfAttested